न्यायालय [illegible]क्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 136 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर।		1 मदनलाल पुत्र चतुर्भुज जाति अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RTA Act.

उपस्थिति :— 1 पैरोकार सरकार।

2 श्री गणपत गुप्ता वकील अप्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 29.11.2022

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खतियों मेगवालों की ढाणी पटवार हल्का मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 479 / 283 रकबा 06.00 बीघा, खसरा संख्या 482 / 283 रकबा 06.00 बीघा तथा खसरा संख्या 608 / 283 रकबा 08.00 बीघा कुल रकबा 20.00 बीघा भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है तथा प्रार्थी भूमिधारी है। उक्त भूमि में अप्रार्थी द्वारा संलग्न नक्शे में दर्शाई गई भूमि का कृषि से भिन्न अकृषि बंकर एवं अन्य सामग्री डालकर ग्रवल सड़क का निर्माण कार्य कर टीन चद्दर की चारदीवारी बनाकर अकृषि बंकर बनाकर कम्पनी को किराये पर देकर व्यवसायिक रूप से कम्पनी से किराया वसूल किया जा रहा है। उक्त बंकर हाउस वातानुकूलित सयंत्र लगाकर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। जिसका उपयोग बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कृषि से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा खतियों मेगवालों की ढाणी पटवार हल्का मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 479 / 283 रकवा 06.00 बीघा, खसरा संख्या 482 / 283 रकबा 06.00 बीघा तथा खसरा संख्या 608 / 283 रकबा 08.00 बीघा कुल रकबा 20.00 बीघा भूमि अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा खतियों मेगवालों की ढाणी पटवार हल्का मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 479 / 283 रकवा 06.00 बीघा, खसरा संख्या 482 / 283 रकबा 06.00 बीघा तथा खसरा संख्या 608 / 283 रकबा 08.00 बीघा कुल रकबा 20.00 बीघा भूमि का अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार है, जो वेदान्ता लिमिटेड (केयर्न ऑयल एण्ड गैस) को किराये पर दी गई है परन्तु उसमे कम्पनी द्वारा किये जा रहे कार्य के लिए भूमि का रूपान्तरण करवाने व किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नही है। अप्रार्थी द्वारा तीनों खसरों की भूमि को कच्चे तेल व गैस की खोज व खनन हेतु दी गई है जिसके लिए राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ग्रुप–6 की अधिसूचना क्रमांक 189 दिनांक 13.10.2020 के अन्तर्गत कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु प्रयोग में लेने प्रकाशित किये गये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम भू–रूपान्तरण नियम 2020 के नियम 6डी की पूर्ण पालना में ही यह कम्पनी किराये पर दी गई है। राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.10.2020 की प्रतिलिपि पेश की गई। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा [illegible] ढाणी पटवार हल्का मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला [illegible] खसरा संख्या 479 / 283 रकबा 06.00 बीघा, खसरा संख्या [illegible] / 283 रकबा [illegible] बीघा तथा खसरा संख्या 608 / 283 रकबा 08.00 बीघा कुल [illegible] को किरा[illegible] देने हेतु राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.10.[illegible] की अक्षरशः पालना [illegible] है तथा उक्त प्रकरण में खसरों में किये जाने वाले कार्य की सूचना श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाडमेर को सूचना देने का प्रावधान है, जिसके अनुसार श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाडमेर को सूचना दे दी गई थी। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें।

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षों को सुना गया। परकार सरकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि सम्परिवर्तन किये बिना अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी भूमि का कृषि से भिन्न उपयोग कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन किया है। राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.10.2020 के अनुसार खातेदार/काश्तकार को ऐसे कार्य करने से 30 दिनों पूर्व सूचना देनी होती है, प्रार्थी द्वारा कम्पनी से दिनांक 31.12.2021 को करार किया गया जिसकी सूचना दिनांक 15.02.2022 को बाद में दी गई है, जिसकी सूचना प्राप्त नही होने पर पत्रावली में नोट नही लगा। अतः समय पर सूचना नही देने एवं अधिसूचना दिनांक 13.10.2020 की पालना नही करने के कारण यह आवेदन स्वीकार किया जावे। लिहाजा उक्त भूमि जिसका कृषि से भिन्न उपयोग किया गया है, को राज्य सरकार में समाहित करते हुए प्रार्थी को उसका कब्जा प्रदान करावें।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.10.2020 की प्रतिलपि, तथा मौजा खतियों मेगवालों की ढाणी पटवार हल्का मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 479/283 रकबा 06.00 बीघा, खसरा संख्या 482/283 रकबा 06.00 बीघा तथा खसरा संख्या 608/283 रकबा 08.00 बीघा कुल रकबा 20.00 बीघा भूमि को किराये पर देने के रजिस्टर्ड करारों की प्रतियां तथा 6डी के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाडमेर को सूचना की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन-मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा खतियों मेगवालों की ढाणी पटवार हल्का मुढों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 479/283 रकबा 06.00 बीघा, खसरा संख्या 482/283 रकबा 06.00 बीघा तथा खसरा संख्या 608/283 रकबा 08.00 बीघा कुल रकबा 20.00 बीघा भूमि में नियमानुसार अप्रार्थी द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ग्रुप-6 की अधिसूचना क्रमांक 189 दिनांक 13.10.2020 के अन्तर्गत कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु प्रयोग में लेने प्रकाशित किये गये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम भू-रूपान्तरण नियम 2020 के नियम 6डी के अनुसार संपरिवर्तन की आवश्यकता नही है केवल सूचना देनी थी जो अप्रार्थी द्वारा दी गई है तथा भूमि को किराये पर देने के रजिस्टर्ड करारों की प्रतियां तथा 6डी के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाडमेर को सूचना भी दे दी गई थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का कोई विधिक आधार नही होने से प्रकरण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो आवेदन पेश करे जिसकी प्रार्थी तहसीलदार अधिसूचना दिनांक 13.10.2020 अनुसार आवेदन की जांच कर नियमानुसार जमाबन्दी में नोट अंकित करना सुनिश्चित करें।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 20/1/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर